न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/315 (Bank Case)

Manual no- 81/2021

"असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय दॉ रूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट) मुम्बई–400028 तथा शाखा कार्यालय– सेठी चैम्बर्स, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 2, डीडीए शॉपिंग सेन्टर, मोर लैण्ड, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली – 110060 जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री निक्की कुमार

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती संतोष सोलंकी पत्नी श्री गिरिराज सोलंकी (ऋणी)
   निवासी– मं. नं. 27/188, ऑफिस गोदाम रोड, केथुनी पोल, रेतवाली, अफिम गोदाम के पास, कोटा (राज0)
2. आशिष सोलंकी पुत्र श्री गिरिराज सोलंकी (सहऋणी)
   निवासी– मं. नं. 27/188, ऑफिस गोदाम रोड, केथुनी पोल, रेतवाली, अफिम गोदाम के पास, कोटा (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण औरपुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 12.01.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि असेट री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय– दॉ रूबी, दसवीं मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर(वेस्ट), मुम्बई तथा शाखा कार्यालय सेठी चैम्बर्स, द्वितीय तल, प्लाट नम्बर 2, डीडीए शॉपिंग सेन्टर, मोर लैण्ड, न्यू राजिन्द्र नगर, नई दिल्ली से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.10.2006 को 7,00,000/–(अक्षरेः रूपये सात लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति मकान नं. 27/188, अफिम गोदाम रोड, कैथुनी पोल, रेतवाली, अफिम गोदाम के पास, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1090 वर्ग फिट है। जो कि श्री संतोष सोलंकी पत्नी श्री गिरिराज सोलंकी के स्वामित्व की है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– मकान हरिदत्त आसोपा, दक्षिण में– मकान कमला बाई व मकान दुर्गालाल, पूर्व में– मकान रेवाचन्द्र जी व मकान केशवदास जी, पश्चिम में– आम रास्ता 15 फुट चौडा स्थित है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.02.2013 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 60,21,329.49 रूपये (अक्षरेः– साठ लाख इक्कीस हजार तीन सौ उनतीस रूपये व उनचास पैसे मात्र) दिनांक 17.05.2018 तक व दिनांक 17.05.2018 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.05.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति मकान नं. 27/188, अफिम गोदाम रोड, कैथुनी पोल, रेतवाली, अफिम गोदाम के पास, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 1090 वर्ग फिट है। जो कि श्री संतोष सोलंकी पत्नी श्री गिरिराज सोलंकी के स्वामित्व की है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– मकान हरिदत्त आसोपा, दक्षिण में– मकान कमला बाई व मकान दुर्गालाल, पूर्व में– मकान रेवाचन्द्र जी व मकान केशवदास जी, पश्चिम में– आम रास्ता 15 फुट चौडा स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.01.2022 को सुनाया गया।

12/1/22

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)